सं.डब्ल्यू-11011/26/2015-जल-।

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

चौथा तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ कॉंपलैक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक 04 अगस्त, 2015

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव
ग्रामीण जलापूर्ति के प्रभारी
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

विषय : एसएजीवाई के अंतर्गत माननीय सांसदों द्वारा गोद लिए गए गाँव/ग्राम पंचायत में प्राथमिकता के आधार पर एनआरडीडब्ल्यूपी के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदया/महोदय,

कृपया सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत माननीय सांसदों द्वारा गोद लिए गए गाँव/ग्राम पंचायत में इस मंत्रालय की स्कीमों नामत: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (एसबीएम)(जी)) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के कार्यान्वयन को प्राथमिकता दिए जाने के संबंध में सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को संबोधित सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय का दिनांक 20.07.2015 का संलग्न अ.शा. पत्र संख्या एम-13012/03/2014-एसएजीवाई देखें।

2. एनआरडीडब्ल्यूपी के मौजूदा दिशा-निर्देशों में ऐसी प्राथमिकता दिए जाने संबंधी निर्देश उपलब्ध हैं। दिशा-निर्देशों के प्रासंगिक उद्धरण यहाँ प्रस्तुत हैं:-

एनआरडीडब्ल्यूपी के दिशा-निर्देशों का पैरा 15.9 (संशोधित) :- सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजी) के अंतर्गत ग्रामीण पेयजलापूर्ति के प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाए।

3. अत: आपसे अनुरोध है कि एनआरडीडब्ल्यूपी के दिशा-निर्देशों में निहित निर्देशों का कड़ा अनुपालन और एसएजीवाई के अंतर्गत माननीय सांसदों द्वारा पहचानी गई ग्राम पंचायतों में इस मंत्रालय द्वारा संचालित दो प्रमुख कार्यक्रमों के तहत कार्यों का प्राथमिकता के आधार पर किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

संलग्नक - यथोक्त

सत्यव्रत 4/8/15

(सत्यव्रत साहु)
संयुक्त सचिव (जल)
दूरभाष सं. 24361043
फैक्स : 24364113

प्रति:

1. राज्य समन्वयक-एसबीएम (जी) एवं एनआरडीडब्ल्यूपी, सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र।
2. तकनीकी निदेशक (एनआईसी), एमडीडब्ल्यूएस-वैबसाइट पर अपलोड करने और आईएमआईएस पर एसएजीवाई के तहत माननीय सांसदों द्वारा पहचानी गई ग्राम पंचायतों को अलग से चिन्हित करने हेतु ताकि इन ग्राम पंचायतों में एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत किए गए कार्यों की प्रगति की मॉनीटरिंग की जा सके।